17/12/24

पंचायत समिति के कार्य के लिए उप०आयुक्त
अलवर गया सं० 01.10.22 कि विद्युत रूप से
लाइन होने के बाद भी उपस्थित नहीं
होने के कारण इनके विरुद्ध एक मुकदमा
कार्यवाही अदालत में चल जाती है कार्य
के लिये कार्य के रू० 0924 CPC
के स्वीकार किये जाने बाबत का निवेदन
किया गया। सुनवाई कार्य का निवेदन को
स्वीकार कर कार्य का मूल्य वाद के पुनः नम्बर
पर दर्ज किया जावे पंचायत समिति मूल्य सुधार
के नम्बर के बाद बोर्ड पंचायत मूल्य वाद
के बाद लगाया रहे।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)